बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (कैमूर) 02–120/2023–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक–1225/स्था0, दिनांक–14.09.2023 के द्वारा **श्री मनोज कुमार दूबे, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चाँद, कैमूर** के विरूद्ध राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना का वाद संख्या 48/2022 व 78/2022 (प्रीति कुमारी चौरसिया बनाम मंजू देवी व समशेर बहादुर सिंह बनाम मंजू देवी) में राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 के आलोक में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रूटनी कमिटी (निदेशालय) प्रतिवेदन के प्रसंग में तत्कालीन अंचलाधिकारी, चाँद एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवादी श्रीमती मंजू देवी (पैतृक/जन्म स्थान–उत्तर प्रदेश), को अवैध/गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु दोषी पाये जाने एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 673 दिनांक 08.03.2011 में अंकित दिशा निर्देशों का उल्लघंन करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–2106(15), दिनांक–11.12.2023 द्वारा श्री दूबे से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री दूबे द्वारा दिनांक–05.08.2024 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दूबे के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–601(15) दिनांक–15.04.2025 द्वारा श्री दूबे के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, कैमूर को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भभुआ को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, कैमूर के ज्ञापांक–133, दिनांक– 20.06.2025 द्वारा श्री दूबे के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–1378(15) दिनांक–04.08.2025 से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री दूबे द्वारा दिनांक–26.08.2025 से द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया।

5. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री दूबे से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि "आरोपी पदाधिकारी द्वारा गलत जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने के कारण श्रीमती मंजू देवी द्वारा उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होने के बावजूद गैर–नियमानुकूल आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए बिहार राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला हेतु आरक्षित मुखिया के पद पर निर्वाचित हुई। यदि आरोपी पदाधिकारी द्वारा गलत जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आरोपी पदाधिकारी द्वारा आरक्षण के नियमों का उल्लंघन करते हुए आवेदिका के पक्ष में गलत जाति प्रमाण पत्र आवेदिका के ससुराल के आधार पर निर्गत किया गया

जबकि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–10104/सा०प्र०, दिनांक–30.07.2018 के आलोक में विवाहित महिलाओं का उनके पिता के नाम से (मायके के आधार पर) जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्रावधान है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत संबंधी सामान्य प्रशासन विभागीय दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते हुए अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश की निवासी महिला को अवैध जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है जिसके आधार पर आवेदिका द्वारा मुखिया पद हेतु पंचायत निर्वाचन में भाग लिया गया एवं विजय प्राप्त की गई जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियमानुकूल नहीं मानते हुए पद मुक्त किया गया साथ ही आवेदिका के पक्ष में निर्गत अवैध जाति प्रमाण–पत्र को निरस्त किया गया। अतएव उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कराण–पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।"

6. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

7. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनोज कुमार दूबे, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चाँद, कैमूर **सम्प्रति प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त, खगड़िया** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (कैमूर) 02–120/2023–526 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–13.4.26

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, कैमूर एवं खगड़िया/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कैमूर एंव खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्री मनोज कुमार दूबे, प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/4/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।